

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस./3718

भोपाल, दिनांक 28-5-98

प्रति,

1-समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

2-समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश.

विषय:- निस्तार व्यवस्था के संबंध में ।

-----0-----

नई निस्तार नीति दिनांक 1-7-96 से प्रभावशील हुई है । उसके प्रभावशील होने के तत्काल बाद ही समस्त वन मंडलाधिकारी से यह अपेक्षा की गई थी कि वे जिला पंचायत/जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों को इस नीति बाबत पूर्ण जानकारी दे दें और यदि उनमें कोई भ्रांतियों हैं, तो उनका निराकरण करें ।

2/ अभी परीक्षण पर जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उससे पाया जाता है कि वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतों में अभी भी भ्रम की स्थिति है और इस संदर्भ में की गई व्यवस्था की उन्हें स्पष्ट व पूर्ण जानकारी नहीं है, जिसके कारण बार-बार शिकायतें होती रहती हैं ।

3/ वनों से 5 कि.मी. परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से बाजार दर पर वनोपज प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें वनोपज उपलब्ध कराने के लिये आवश्यकतानुसार उपभोक्ता/केन्द्रीय डिपो खोले जाने हेतु अधिकार वन संरक्षकों को दिये जा चुके हैं । इन डिपों से ग्राम पंचायतें वनोपज का मूल्य देकर वनोपज प्राप्त कर अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकती हैं । अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायतें किसी एक व्यक्ति विशेष को इस हेतु वनोपज का कुल मूल्य पटाकर वनोपज प्राप्त करने हेतु अधिकृत भी कर सकती हैं और वह व्यक्ति पंचायत की ओर से वनोपज क्रय कर उसकी आगे बिक्री ग्रामीणों को कर सकता है ।

4/ कृपया अपने अधीनस्थ समस्त उप वनमण्डलाधिकारियों/परिक्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित करें कि समस्त जनपद पंचायत व ग्राम पंचायतों को इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें एवं उनकी कठिनाईयों का निराकरण करें । यदि जन प्रतिनिधियों तथा ग्राम पंचायतों की ओर से कोई नये डिपो स्थापित करने की मांग की जाती है तो सुविधा अनुसार डिपों खोलें ।

इस संदर्भ में की गई व्यवस्था की जानकारी मुझे 15 दिन के भीतर उपलब्ध करायें । इस सम्बन्ध में एक पम्पलेट संलग्न है । कृपया इसकी प्रतियाँ छपवाकर समस्त पंचायतों/जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों को वितरित कराएँ ।

संलग्न-एक पम्पलेट

(आर.डी. शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक)

म०प्र० भोपाल

पृ.क्र./निस/3719

भोपाल, दिनांक 31-7-1995

प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म०प्र० भोपाल की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.डी. शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक)

म०प्र० भोपाल

ग्रामीणों को वनोपज की पूर्ति हेतु निस्तार व्यवस्था

राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह मान्य किया गया है कि वनों से सुविधा का पहला अधिकार, वनों में एवं वनों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों का है जो कि वनों की सुरक्षा, संवर्धन एवं विकास में योगदान देते हैं। इसी के अनुरूप प्रदेश में वर्तमान में जो निस्तार व्यवस्था प्रचलित है, उसमें वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित समस्त ग्रामों के ग्रामीणों को निस्तार डिपो से निस्तार दर पर वनोपज प्राप्त करने की व्यवस्था है। वनों से 5 कि.मी की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों में रहने वाले अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रचलित बाजार भाव पर केन्द्रीय (उपभोक्ता) डिपो से वनोपज प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक जिले हेतु प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में इन समस्त निस्तार डिपो एवं केन्द्रीय (उपभोक्ता) डिपो का उल्लेख है व वे दरें भी दर्शाई गई हैं, जिन पर कि वनोपज प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान डिपो के अतिरिक्त वृत्त के वन संरक्षक आवश्यकतानुसार नये केन्द्रीय (उपभोक्ता) डिपो स्थापित कर सकते हैं।

वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित पंचायतें संबंधित केन्द्रीय डिपो से आवश्यक मूल्य पटाते हुये वनोपज प्राप्त कर सकती है और इसे अपनी पंचायत के ग्रामीणों को वितरित कर सकती है। ग्रामीणों को किस दर पर वनोपज उपलब्ध कराई जायेगी यह निर्णय पंचायत स्वयं कर सकती है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पंचायतें अपनी ओर से किसी एक व्यक्ति को अधिकृत कर सकती है, जो कि मूल्य पटाकर, वनोपज प्राप्त कर अपने ग्रामीणों को वितरित करे।

यदि इस संदर्भ में आपको कोई कठिनाई है अथवा कोई जानकारी चाहिये या कोई सुझाव देना है तो आपके निकटतम संबंधित परिक्षेत्र अधिककारी/उप वन मंडलाधिकारी/वन मंडलाधिकारी से सम्पर्क करें।

-मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा जनहित में प्रकाशित-